मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
पर्यटन भवन, भद्भदा रोड, भोपाल

क्रमांक 7155/II/लेखा/पविनि/2012 भोपाल, दिनांक 28/ 06/2012

प्रति,

समस्त वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक/प्रभारी प्रबंधक–होटल/मोटल
समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक/समस्त प्रभारी मार्केटिंग कार्यालय एवं सूचना केन्द्र
मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम।

....

विषयः–सर्विस टेक्स चार्ज करने के लिए करयोग्य राशि में संशोधन बावत्।

संदर्भः–(1) मुख्यालय के पत्र कं. 8867 दि. 27.07.11, (2) पत्र कं 11567 दि. 12.10.11, (3) पत्र कं. 13213 दि. 30.11.11 (4) पत्र कं. 783 दि. 09.01.12 एवं पत्र कं. 3981 दि. 28.03.12

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में निगम के द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर जिन पर सर्विस टैक्स लागू होता हैं, भारत शासन (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग) के नोटिफिकेशन कं. 24/2012 दि. 06 जून 2012 एवं नोटिफिकेशन कं. 36/2012 दि. 20 जून 2012 के अनुसार छूट (Abatement) और करयोग्य राशि (Taxable Amount) में संशोधन किया गया हैं। संशोधनों का विवरण इस प्रकार हैं........

क.	सर्विसेस का विवरण (Name of Services)	छूट का प्रतिशत (Abatement %)	कर योग्य राशि (Taxable Amount %)
1	बार सुविधा वाले ए. सी रेस्टॉरेन्ट (केटरिंग, कोल्ड्रिक, मिनरल वॉटर, आइस्कीम एवं बीयर/लीकर आदि की आय पर)	60%	40%
2	मण्डप कीपिंग सर्विसेस (पार्टी/कॉफ्रेस आय पर)	30%	70%
3	आवास सुविधा (टेरिफ रू. 1000/– और इससे अधिक प्रतिदिन)	40%	60%
4	आउट डोर केटरिंग सर्विसेस	40%	60%

उपरोक्त संशोधन 01 जुलाई 2012 से प्रभावशील किये गये है। अतः 01 जुलाई 2012 से उपरोक्त सर्विसेस पर उपरोक्तानुसार सर्विस टैक्स चार्ज किया जावें। अवगत होना चाहेंगे कि सर्विस टैक्स 01 अप्रैल 2012 से 12.36% की दर से चार्ज करने के सम्बंध में मुख्यालय के पत्र कमांक 3981 दि. 28.03.12 के माध्यम से पूर्व में ही सूचित किया जा चुका हैं। कृपया आश्वस्त होवें कि निगम के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर जिन पर सर्विस टेक्स लागू होता है, आपके द्वारा नियमानुसार सर्विस टेक्स वसूल किया जाकर प्रतिमाह 5 तारीख तक जमा किया जा रहा है और ऑनलाईन रिर्टन देय तिथि पर फाईल किया जा रहा है। विलम्ब के कारण लगने वाली शास्ति एवं ब्याज आदि के लिये आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कृपया समय–समय पर होने वाले संशोधनों से अवगत होते रहने के लिए अपने क्षेत्र से सम्बंधित सर्विस टैक्स विभाग के सम्पर्क में रहे।

28.6.12

महाप्रबंधक (वित्त)

पृ. क्रमांक /II/लेखा/पविनि/2012 भोपाल, दिनांक 28/ 06/2012

प्रतिलिपि–

01. निज सचिव, प्रबंध निदेशक महोदय, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर सूचनार्थ।
02. कार्यपालक निदेशक/समस्त मुख्य महाप्रबंधक/मुख्य अभियंता/कम्पनी सचिव/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखापाल/लेखापाल, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, ...की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबंधक (वित्त)